



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी जिला नागौर(राज0)

प्रार्थना-पत्र नम्बर	60 / 2021	GCMS No. 2021/69
तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
23.07.2021	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का अवलोकन किया गया। जमाबंदी अनुसार संबंधित खातेदार की सहमति नहीं होने से प्रार्थना-पत्र काबिल खारिज है। अतः प्रार्थना-पत्र सहमति के अभाव में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)</p> <p style="text-align: right;"></p>	